ब अदालत श्री प्रकाश चंद पान्टा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील पझौता, स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दावा संख्या : 817729 / 2026 तारीख मजरूआ : 19–05–2026

महेन्द्र पुत्र रतन सिंह धमांदर, डाकघर भडोली, उप–तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—— (Proclamation u/s-37(1) of H.P. Land Rev. Act, 1954).

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महेन्द्र पुत्र रतन सिंह धमांदर, डाकघर भडोनी, उप–तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में इन्द्राज की दुरुस्ती हेतु इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसका कथन है कि बाबत खाता / खतौनी नं0 4मिन / 9, जमाबंदी वर्ष 2021–2022, नम्बर खसरा 41, तादादी 00–17 बीघा व नम्बर खसरा 117, रकबा तादादी 02–02 बीघा, नम्बर खसरा 419 / 376 / 273 मिन, तादादी 00–07 बीघा, कुल कित्ते–03, कुल तादादी 03–06 बीघा, मौजा धमांदर, पटवार वृत्त माटल बखोग की भूमि में पिछले कई वर्षों से भलकू पुत्र प्रभू गैर मौरूसी गलत दर्ज है जबकि भलकू नामक इस व्यक्ति उरोक्त भूमि पर कोई भी कब्जा न रहा है ऐसा प्रार्थी का कथन है।

प्रार्थी के आवेदन पर क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा छानबीन करवाने उपरांत यह पाया गया कि हाजरीन नम्बरदार श्री कल्याण सिंह, मौजा बगड पनोटी व श्री दूर्गा दास उप–प्राधान ग्राम पंचायत कोटी पधोग व अन्य वाशिंदगान देह हजा ने भी ब्यान किया कि उपरोक्त आराजी पर मालकान का ही कब्जा रहा है व स्थानीय साक्ष्यों के अनुसार भलकू, लगभग 60 वर्ष पूर्व बाहरी क्षेत्र से यहां दिहाड़ी मजदूरी हेतु आया था और कुछ समय पश्चात यहां से पलायन कर गया था, तथा वर्तमान में इस क्षेत्र में उसका कोई अस्तित्व या अता–पता नहीं है। जिसका गैर मौरूसी कब्जा दर्ज हो गया है जिसका उन्हें अब तक कोई भी ज्ञान न था। मुताबिक गिरदावर हलका रिपोर्ट पाया की जमाबंदी वर्ष 1972–73 तक उपरोक्त नम्बर खसरा में कब्जा मालकान ही दर्ज था परन्तु बाबत वर्ष 1976–1977 की जमाबंदी में भलकू गैर–मौरूसी का इन्द्राज पाया गया तथा इस इन्द्राज बारे कागजात माल अनुसार कोई भी विशेष इन्तकाल व कैफियत नोट नहीं पाया गया। जिससे यह कहा जा सकता है कि मौजा धमांदर के उपरोक्त नम्बर खसरा में भलकू गैर–मौरूसी का नाम गलत दर्ज है साथ ही इस क्षेत्र में भलकू नामक व्यक्ति नहीं रहता है।

अतः इस सूचना के माध्यम से श्री भलकू पुत्र श्री प्रभू (यदि जीवित हों) या उनके विधिक वारिसों (जायज वारिसान) अथवा किसी भी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उक्त राजस्व रिकॉर्ड में सुधार करने तथा भलकू का नाम हटाकर कब्जा मालिकान स्वयं दर्ज किए जाने पर कोई भी आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 20–06–2026 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक न्यायालय सहायक समाहर्ता, उप–तहसील पक्षौता स्थित नौहरी में स्वयं (असालतन) अथवा अपने अधिकृत अधिवक्ता (वकालतन) के माध्यम से उपस्थित होकर साक्ष्यों सहित अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नियत तिथि तक किसी भी आपत्ति के प्राप्त न होने अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील पझौता,
स्थित नौहरी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 :　　／2026

श्रीमती कौश्ल्या देवी पुत्री मोतीराम, निवासी छछेती, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री मोतीराम, निवासी छछेती, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु／मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्लयू–एन／एसटी／बीएण्डडी／डिलेय केसिस／2025–1599, दिनांक 18–05–2026 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वये की जन्म तिथि 10–04–1966 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत छछेती के जन्म तिथि अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती हैं ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर／एतराज हो तो वह दिनांक 19–06–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर／एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री मोतीराम, निवासी छछेती की जन्म तिथि 10–04–1966 है, को तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 19–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित／–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

—————————